न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –तृतीय , जहानाबाद ।
अग्रिम जमानत याचिका संख्या–869/2026

(सम्बन्धित मखदुमपुर टेहटा थाना कांड सं0–378/2026 अंतर्गत धारा–308(2), 308(3), 324(5), 3(5) बी.एन.एस.)

1. सुरेश कुमार गुप्ता **पिता–पुनित माहतो** **उम्र–86 वर्ष,**
साकिन–धनश्याम बिगहा, थाना–टेहटा, जिला–जहानाबाद।

2. विकास कुमार **पिता–मिथलेश यादव** **उम्र–30 वर्ष,**
साकिन– पूर्वी मिश्र बिगहा, थाना–टेहटा, जिला–जहानाबाद।

3. विकास कुमार **पिता–युगल शर्मा** **उम्र–35 वर्ष,**

4. मंटू कुमार **पिता– स्व0 गणेश पंडित** **उम्र–32 वर्ष,**

5. राहुल कुमार **पिता– रामस्वरूप राउत** **उम्र–26 वर्ष,**

तीनों साकिन–ग्राम सुमेरा, थाना टेहटा, जिला–जहानाबाद।

.....आवेदकगण ।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षीगण।

आवेदकगण की ओर से :– श्री सयान फतह, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से :– श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर लो0 अभि0।

आदेश

23.07.2026 आवेदक /अभियुक्तगण **सुरेश प्रसाद, विकास कुमार पिता मिथिलेश यादव, विकास कुमार पिता युगल शर्मा, मंटू कुमार एवं राहुल कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक–अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। आवेदकगण की ओर से पूर्व में अन्य कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन न ही प्रधान न्यायालय में और न ही माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है और न किसी प्रकार का जमानत आवेदन सुनवाई हेतु लंबित है। आवेदकगण के विरुद्ध पूर्व से टेहटा मखदुमपुर थाना कांड सं0–124/2026 दर्ज है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्राथमिकी झूठा एवं मनगढ़ंत बनाया गया है। सूचिका द्वारा आवेदकगण पर पहले भी इसी प्रकार का एक और प्राथमिकी टेहटा मखदुमपुर थाना कांड सं0–124/2026, दिनांक 12.02.2026 को दर्ज करवाई है। आवेदक सुरेश प्रसाद गुप्ता काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। आवेदकगण सम्मानित व्यक्ति हैं और पंचायत चुनाव में आवेदकगण वर्तमान मुखिया एवं इस कांड की सूचिका विपुला देवी का साथ न देकर उनके विपक्षी का साथ दिये थे। इसी कारण सूचिका बदला लेने के उद्देश्य से बार–बार प्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा में फंसाने के उद्देश्य से करती है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

Web Copy

लगातार
23.07.2026

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक/ अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियोजन वाद संक्षिप्त में यह है कि सूचिका लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत डब्ब्लू.पियु निर्माण करा रही थी, जिसका दीवार सात फिट चारों तरह उठाकर डोर लेवल तक दीवार को छड़ देकर बांध दिया गया था। मंटू कुमार, विकास कुमार पिता–युगल शर्मा, राहुल कुमार, विकास कुमार पिता–मिथलेश यादव, सुरेश प्रसाद गुप्ता ये सभी लोग एकजुट होकर आयें और काम शुरू दिन ही बोले कि यहॉ काम नहीं होगा, जिस पर सूचिका बोली कि यहॉ जनता के लिए डब्ब्लू.पी.यु का निर्माण करा रहे हैं तो उपर्युक्त लोगों के द्वारा दिनांक 10.02.2026 की रात्रि करीब 12 बजे के समय सभी दीवार को तोड़ दिया गया। हल्ला करने पर वे लोग चले गये साथ ही साथ वहॉ रखा सामग्री सीमेंट 50 बोरा, छड. दो क्विंटल, कड़ाही 10 पीस, चपड़ा 6 पीस, खंती 2 पीस एवं 8 बोरा सीमेंट पानी में दिया गया। रंगदारी के रूप में उक्त व्यक्तियों के द्वारा 50 हजार रुपये की मॉग की गयी थी। सूचिका द्वारा पैसे देने से इंकार कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप दीवार तोड़ दिया गया।

जमानत याचिका पर उभय पक्षों को सुना। केस दैनिकी व प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक–अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा आवेदक–अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि वे लोग लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत निर्माणाधीन डब्ब्लू0पी0यू0 के चारों तरफ उठे सात फीट दीवार को तोड़ दियें एवं वहॉ रखे सामग्री को उठा कर लेकर चले गये और सीमेंट को पानी में डाल दिये थे तथा निर्माण कराने के एवज में रंगदारी के रूप में सूचिका से 50 हजार रूपये की मॉग किये थे। केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा इस वाद में चोरी की गई सामग्री को बरामद नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई जप्ती सूची बनायी गयी है। अनुसंधान के क्रम में घटना की तिथि एवं समय का टेहटा काली मंदिर स्थित मुकेश कुमार के घर पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि फुटेज में किसी भी आवेदक–अभियुक्त को घटनास्थल की ओर जाते हुये नहीं देखा गया है, जो कि केस दैनिकी की कंडिका–24 में वर्णित है। केस दैनिकी की कंडिका–9 में आवेदक–अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व से एक आपराधिक मुकदमा मखदुमपुर (टेहटा)थाना कांड सं0–124/2026 दिनांक 12.02.2026 अंतर्गत धारा– 308(2), 308(3), 324(5), 132, 3(5) बी.एन.एस दर्ज पाया गया है। इस वाद का उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि उक्त आपराधिक मुकदमें से संबंधित प्राथमिकी की सत्यापित छायाप्रति बचाव पक्ष द्वारा दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण पर इस कांड की सूचिका द्वारा पूर्व में भी दर्ज कराया गया मुकदमा–मखदुमपुर (टेहटा)थाना कांड सं0–124/2026 दिनांक 12.02.2026 की प्राथमिकी में वर्णित विषय–वस्तु (Content) बिल्कुल वर्तमान मुकदमें के जैसी ही है और दोनों केस में आवेदक–अभियुक्तों के विरुद्ध एक ही दिन के अपराध को लेकर मुकदमा

Web Copy

लगातार
23.07.2026

दर्ज कराया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध प्राथमिकी में विशिष्ट आरोप नहीं है, बल्कि उनके विरुद्ध सामान्य एवं अप्रत्यक्ष आरोप है। वाद अभी अनुसंधानाधीन हैं।

अतः ऐसी स्थिति में आवेदक–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक–अभियुक्तगण **सुरेश प्रसाद, विकास कुमार पिता मिथिलेश यादव, विकास कुमार पिता युगल शर्मा, मंटू कुमार एवं राहुल कुमार** की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकृत कर आदेश की तिथि से 15 दिनों के अंदर आत्मसर्मपण या गिरफ्तारी के पश्चात् मो0 10,000/– रु0 के दो समान प्रतिभू के साथ बंध–पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के अंतर्गत दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति को संबंधित न्यायालय में अविलंब भेजें।

लेखापित

S/d

(पुष्पांजली कुमारी)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जहानाबाद।
दिनांक–23.07.2026

Web Copy